आज़ादी का
अमृत महोत्सव

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकःएफ.8(10)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2023/2682-688 जयपुर, दिनांक 10.8.23

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या– 26/2023–24

मानसून वर्ष 2023 में बिपरजॉय के प्रभाव से हुई अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **बाड़मेर** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 978 दिनांक 30.06.2023 के आधार पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा रामसर तह. रामसर के 240 कार्य हेतु राशि रूपयें 428.50 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, धोरीमना तह. धोरीमना के 42 कार्य हेतु राशि रूपयें 73.40 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा बाडमेर CBEO खण्ड पायला कला तह. सिणधरी के 37 कार्य हेतु राशि रूपयें 66.55 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, आडेल तह. नोखडा के 13 कार्य हेतु राशि रूपयें 21.75 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा चौहटन तह. चौहटन के 64 कार्य हेतु राशि रूपयें 125.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सेडवा तह. व ब्लॉक सेडवा के 39 कार्य हेतु राशि रूपयें 78.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, धनाऊ तह. धनाऊ के 44 कार्य हेतु राशि रूपयें 88.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा सिवाना तह. व ब्लॉक सिवाना के 25 कार्य हेतु राशि रूपयें 44.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, फागलियां तह. ब्लॉक सेडवा के 17 कार्य हेतु राशि रूपयें 33.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा समदडी तह. व ब्लॉक समदडी के 08 कार्य हेतु राशि रूपयें 15.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा बायतु तह. बायतु के 08 कार्य हेतु राशि रूपयें 6.90 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा कल्याणपुर तह. कल्याणपुर के 06 कार्य हेतु राशि रूपयें 12.00 लाख, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा बालोतरा तह. पचपदरा के 40 कार्य हेतु राशि रूपयें 80.00 लाख **कुल विद्यालय भवनों के 583 कार्यों की मरम्मत हेतु राशि रूपये 1072.10 लाख (अक्षरे रूपये दस करोड़ बहतर लाख दस हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

(i) विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के Restoration पर न करें।

(ii) प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।

(iii) जिला कलेक्टर विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए बजट की मांग एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।

(iv) बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(v) वे कार्य जो Defect LiabilityPeriod के तहत आती है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।

(vi) जिला कलेक्टर बजट की ऑन लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग SDRF नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair &Periodical Repair (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़कों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 1243–60 दिनांक 24.06.2023 द्वारा गणना की जाये।

कार्यालय का पता– खाद्य भवन, भू–तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर–302005, दूरभाष नं. 0141–2227084 फैक्स नं. 0141–2227230
ई–मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

(vii) कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

(viii) जिला कलेक्टर स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

(ix) जिला कलेक्टर उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

(x) प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(xi) इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावे।

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023–24 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा:–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

107– खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)–(बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत)

[01]–[बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. राशि रू. 804.07 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रू. 268.03 लाख)

(xii) स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।

(xiii) निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षेप खाते से आहरण नहीं किया जावेगा।

(xiv) निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2022 तक राजकोष में जमा करवाई जावें।

(xv) व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखें जावे।

(जगत राजेश्वर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।

4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, **बाडमेर** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार आवश्यक बजट की गणना कर बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**

मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, फागलिया तह. व ब्लॉक सेडवा के क्रम संख्या 3 पर अंकित कार्य में जीपीएस, बोरला नाडी हेतु राशि रूपये 2.00 लाख की मांग की गई है उक्त कार्य नोर्म्स अनुमत नहीं है। उक्त प्रस्ताव में कुल 18 कार्य हेतु मांग की गई राशि रूपये 35.00 लाख के स्थान पर कुल 17 कार्य हेतु राशि रूपये 33.00 लाख स्वीकृत किये गये है।

मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा सिणधरी तह. सिणधरी के प्रस्तावों में दर्शाई गई क्षति की दिनांक एवं वर्षा को सिंचाई विभाग से प्राप्त आंकडों से मिलान किया गया, उक्त वर्षा सही नही पाई गई है एवं अत्यधिक वर्षा/बाढ की श्रेणी में नही आती है। अतः उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत नही किया गया है।

6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
7. कोष कार्यालय, बाडमेर।

शासन उप सचिव

कार्यालय का पता– खाद्य भवन, भू–तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर–302005, दूरभाष नं. 0141–2227084 फैक्स नं. 0141–2227230
ई–मेल आई.डी. **relief-rj@nic.in**